

श्रीवा

उपखण्ड पत्रावली में संस्थागत विधि
प्रति सं. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
16, 19, 21, 23, 25, 26 न्यायालय
में अनुपस्थित वावयू सूचना के
अनुपस्थित रहने से उक्त प्रतिवादी
का पत्रावली बन्द कीया जाता है,
पत्रावली बन्द दिनांक 19.7.24
को पेश हो।

न्या
मुद्रा

08/07/24
M

19.7.24

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनु
व वादीगण अनुपस्थित रहने से प्रकरण
में बन्द नमी हो सभी बन्द हेतु भवित
प्रदान कीया जाकर बन्द पत्रावली बन्द
दिनांक 2/8/2024 को पेश हो।

2.8.2024

पत्रावली आज अदालत में प्रस्तुत हुई
अधिवक्ता वादी श्री नरेश कुमार सोनी
उपस्थित हैं दिनांक 28.06.2024 को
प्रतिवादी सं. 1 से 27 की तामील के बाद
पत्रावली पर प्रतिवादी सं. 3, 5, 9, 11, 17
18, 20, 22, 24, के अलावा सभी प्रतिवादी
न्यायालय में अनुपस्थित रहे, प्रतिवादी
सेवा 3, 5, 9, 11, 17, 18, 20, 22, 24 के
अलावा सबका पत्रावली बन्द कीया गया
प्रतिवादी सं. 3, 5, 9, 11, 17, 18, 20, 22, 24




उपखण्ड अधिका.
रा. रा. रा. जिला सलुम्बर (रा. रा.)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर (राज.)

नाम _____
 मुकदमा _____ पत्रावली संख्या _____ सं. _____

तारीख हुकम	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी
	<p>ने सभ्गानी व्यक्त वी तथा व्यक्त वीयावरी अगर पत्थरगरी वी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नही प्रालिगरी सं. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, के विरुद्ध इस तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है</p> <p>अधिवक्ता वारी ने उपस्थित हो कथन वीया वी उन्हें प्रालिगरी सं. 13, 21, 23 के विरुद्ध कोई सद् भी नही चाहिसे अतः इनके विरुद्ध इस न्यायालय से अब कोई आदेश नही जारी वीया जावा है अतः अब समस्त वामीली वी आवश्यकता नही है,</p> <p>व्योक्ति अब पत्रावली में वामीली अथवा पत्रावली से सब वी कोई कार्यवाही शेष नही है, तथा प्रालिगरी सं. 3, 5, 9, 11, 17, 18, 20, 22, 24 ने पत्थरगरी से सभ्गानी व्यक्त वी है. अतः वाद पत्र अनुसार दिसे गये आरापी सं. 247/1, 247/2, 247/3, 247/4 कुल आरापी 4 कुल रकबा 2.8728 हेक्टर मौजा आमलीखेडा, परभर कल्का वामीली के पत्थरगरी के आदेश जारी किये जाते है तदपीलदार को आदेशित किया जाता है, अपने कार्यालय से सूचना पत्र जारी कर मौके पर उक्त आरापीयत वी पत्थरगरी का कार्य निष्पादन करे, वारी तदपीलदार के पत्र व निर्देशानुसार मौके पर उपयुक्त साधन के पत्थर (गाढने हेतु) तथा मजदुर (गाढा करने हेतु) उपलब्ध करावे।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)



वर्षी तदधीलदार का डक दिवस का वेल्न
 राणकोष मे जगा कराने पर ही पत्थरगही
 का कार्य ठिया जावे / उक्त डक दिवस के
 वेल्न से विमानुसार तदधीलदार उतवो देम
 शदि प्रथक से विव वताकर राणकोष
 से आदरित कर संकेते / T.R.A. विमानुसार
 उक्त जी मांग कार्यवही करे, इस डेलु डक
 प्रति T.R.A. को भी निर्णय की प्रति भेजी जावे /

पत्रावली मे निर्णय खुले अदालत मे
 सुनाया गया, पत्रावली फेसल खुमार लोकर
 नम्बर से कम हो /

असलत अधिकारी
 नसाइया, जिला सतपर (सल.)